माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंचल : तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी
CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE ZONE : TAMILNADU & PUDUCHERRY
जी एस टी भवन, सं. 26/1, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई – 600 034
GST BHAWAN, No. 26/1, MAHATHMA GANDHI ROAD, CHENNAI – 600 034
ई – मेल / E-mail: cca.estt.section@gmail.com / ccaestt-prcco@gov.in
दूरभाष / Ph. No.: 044-28331011 फैक्स / Fax No.: 044-28331015

आज़ादी का अमृत महोत्सव

फा.सं. / File No.: GCCO/CCA/RECR/33/2022-CCAESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-CHENNAI दिनांक / Date:.22.11.2022

आदेश सं. / ORDER NO. 146/2022

नियुक्ति प्रस्ताव / OFFER OF APPOINTMENT

विषय: स्था. - माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आशुलिपिक ग्रेड – II के पद पर भर्ती - कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित आशुलिपिक ग्रेड – I एवं II परीक्षा, 2019 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आबंटन।

Sub: Estt. - Recruitment to the post of Stenographer Grade-II of CGST & Central Excise Allocation of candidates on the basis of result of the Stenographer Grade-I & II Examination, 2019, conducted by SSC - Reg.

* * * * *

आशुलिपिक ग्रेड – I एवं II परीक्षा, 2019 के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संस्तुत तथा बोर्ड के पत्र फा.सं.ए.-12034/SSC/04/2019-ए.डी..III(बी.) दिनांक 03.10.2022 द्वारा आशुलिपिक ग्रेड – I के पद पर माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल में आबंटित श्री / श्रीमती/सुश्री कुलदीप प्रजापति (जन्म तिथि 29.01.1999), को प्रवेशिक वेतन रु. 25,500/- (7 वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रक्स स्तर 4, इंडेक्स 1) के साथ समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते में आशुलिपिक ग्रेड – II (केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और चेन्नई निम्नलिखित संवर्ग नियंत्रण अंचल के केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तलाय में नीचे दर्शाए गए अनुसार तैनात किया जाता है ।

Sh./Smt./Ms. Kuldip Prajapati (D.O.B.29.01.1999), recommended by the Staff Selection Commission on the basis of result of Stenographer Grade-I & II Examination, 2019 and allocated to the CGST & Central Excise, Tamil Nadu & Puducherry Zone for the post of Stenographer Grade-II vide Board's letter F.No. A. 12034/SSC/04/2019-Ad. III(B) dated 03.10.2022 is offered appointment to the post of Stenographer Grade-II (CGST & Central Excise) provisionally in the entry pay of ₹ 25,500 /- (Level 4, Index 1 in pay matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and is posted to the following Commissionerate in CGST & Central Excise of Chennai Cadre Control Zone as indicated below :-

अनुक्रमांक सं. ROLL NO.	रैंक RANK	नाम / NAME (सर्व / श्री/ श्रीमती/ सुश्री) (S/Shri/ Smt./Ms.)	वर्ग CATE GORY	कहां पर तैनाती की जाती है POSTED TO
3009008525	313	कुलदीप प्रजापति KULDIP PRAJAPATI	अ.पी.व OBC	लेखा परीक्षा – I, चेन्नई AUDIT – I, CHENNAI

2. अभ्यर्थी को केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्तालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्तालय का पता निम्नवत है -

The address of the Commissionerate of the CGST & Central Excise, Chennai Cadre Control Zone where the candidate has to report is as follows:

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
लेखा परीक्षा – I आयुक्तालय
1775, जवाहरलाल नेहरु इनर रिंग रोड
अन्ना नगर पश्चिमी एक्सटेंशन, चेन्नई – 6001 01

Office of The Commissioner of GST & Central Excise,
Audit-I Commissionerate
1775, Jawaharlal Nehru Inner Ring Road,
Anna Nagar, Western Extension, Chennai-600101
संपर्क सं. / Contact: 044 – 26159014 / 26159251
ई-मेल आई.डी. / Email ID: chennaiexciseaudit1admn@gmail.com / centraltax-audit1@gov.in

3. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन है ।

This appointment order is subject to following conditions.

4. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नाटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त अंश के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें । अभ्यर्थी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 द्वारा नियंत्रित होगा ।

The services of the candidate will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating his/her services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to him/her of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof. The candidate will be governed by the provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

5. वह नियुक्ति की तारीख से दो साल के लिए परिवीक्षा पर रहेगा / रहेगी, जिसकी अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा । यदि कोई कर्मचारी नियमों के तहत अनुमेय किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करता है, तो परिवीक्षा अवधि को ली गई छुट्टी की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 मार्च 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018-स्था.(सी) के अंतर्गत जारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा ।

He/She will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, he/she will be considered for confirmation in the said post. If an employee does not complete 75% of the total duration prescribed for probation on account of availing any kind of leave as permissible under the Rules, the probation period may be extended by the length of the leave availed, but not exceeding double the prescribed period of probation. Strict compliance will be adhered to the instructions under DoPT's OM No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11th March 2019.

6. आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीन माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यकलापों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए ।

He/she shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

7. अभ्यर्थियों को दो वर्षों के अंदर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा न करने पर वे आगे वेतनवृद्धियों के आहरण के पात्र नहीं होंगे तथा केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आशुलिपिक ग्रेड – II की ग्रेड में स्थायी रूप से उनके प्रतिधारण के संबंध में भी विचार नहीं किया जाएगा ।

The candidate should pass the prescribed Departmental Examination within two years, failing which he/she will not be eligible to draw further increments and will not be considered for permanent retention in the grade of Stenographer Grade-II of GST & Central Excise.

8. केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आशुलिपिक ग्रेड – II की ग्रेड में अभ्यर्थी की वरिष्ठता चालू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी ।

The seniority of the candidate in the grade of Stenographer Grade-II of CGST & Central Excise will be fixed as per the orders in force.

9. छुट्टी, यात्रा भत्ते और सेवा - शर्तों से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में, अभ्यर्थी से संबंधित सार्वजनिक सेवा की शाखा पर लागू होने वाले तथा समय-समय पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा वे नियंत्रित होंगे ।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, he/she will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which the candidate may belong.

10. प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंदर कहीं भी तथा पदोन्नति पर भारत में कहीं भी उन्हें तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है ।

He/she will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of CGST & Central Excise, Tamilnadu and Puducherry Zone and anywhere in India on promotion.

11. यदि वह स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं है या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की है, तो वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

He/she will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12. सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा / साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिम स्थायी कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्भार ग्रहण अवधि) नियमावली, 1979 के अध्यधीन कार्यग्रहण अवधि के हकदार होगें । लेकिन 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरा न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं ।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under CCS (Joining Time) Rules, 1979. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time, would not be entitled to Joining time Pay.

13. अगर अभ्यर्थी रोजगार हेतु पहले ही किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन दे चुके हैं / परीक्षा में बैठ चुके है तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी होगी । अन्य सरकारी कार्यालयों में या अन्यत्र कहीं नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पत्र को आगे अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार विभाग प्रमुख को होगा ।

The candidate should also intimate at the time of reporting for duty, if he/she had already applied for / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full

discretion to forward or withhold any of his/her applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

14. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेनी होगी या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करना होगा ।

On joining the post, he/she will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

15. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश / विमुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

If he/she is already employed, the candidate should produce a relieving order/ discharge certificate from the previous employer.

16. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथानिर्धारित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथासंशोधित / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथाप्रयोज्य), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन है । अगर अनुसूचति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग अथवा नॉन क्रीमी लेयर के होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए ।

If the candidate claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, he/she have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. He/she should note that his/her appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or not to belong to creamy layer is found to be false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He/she should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

17. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of it taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of it taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

18. अत: यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएं तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क केआशुलिपिक - ॥ के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएं तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon satisfying the requirements mentioned. If, however, he/she does not fulfil the above conditions and he/she desires to be exempted from the above-mentioned rules for any reason, the candidate should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him/her in due course, if upon consideration of his/her representation, it will be decided to offer him/her appointment to the post of Stenographer Grade-II of CGST & Central Excise.

19. यदि उनके द्वारा दी गई कोई घोषणा / सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उन्होंने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का भागी होगा ।

If any declaration/information furnished by him/her is proved to be false, or if he/she is found to have wilfully suppressed any marital information, he/she will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

20. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत की सत्यापन रिपोर्ट, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र, पिछले कार्यस्थल के संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में यह अनंतिम नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक / कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

This offer of appointment is purely provisional and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities, Caste certificate from the concerned issuing authority, verification of certificate of education issued by the University/Competent Authority and Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at previous working place. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence.

21. अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नामांकित अंचल / आयुक्तालय में दिनांक **22.12.2022** को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी ।

The candidate shall report for duty at the Office of the nominated Zone / Commissionerate on or before **22.12.2022** with the following documents:

(i) शैक्षणिक योग्यताओं की मूल एवं स्व - अनुप्रमाणित प्रतियां ।
Original and Self-Attested copies of Educational Qualifications;

(ii) आयु प्रमाण-पत्र की मूल एवं स्व - अनुप्रमाणित प्रति ।
Original and Self-Attested copy of Certificate of Age;

(iii) अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के अभ्यार्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र ।
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;

(iv) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी के मामले में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ।
Income and Assets Certificate in the case of EWS Candidate.

(v) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश / सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) ।
Relieving order/ Discharge Certificate from the present employer (if applicable).

(vi) लंबित दस्तावेज़ (जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे यानी चरित्र प्रमाण पत्र / पहचान प्रमाण पत्र, आदि) ।

Pending Documents (that were not submitted at the time of Document Verification i.e. Character Certificate/ Identity Certificate, etc.)

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा ।

failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

22. कार्यभार ग्रहण करने हेतु मांगा गया कोई भी अवधि - विस्तार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1259494-स्था.(डी), गृह मंत्रालय के दिनांक 06.06.1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/23/71 – स्था.(डी) एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35016/2/93-स्था. (डी) के प्रावधानों के अध्यधीन विनियमित होगा।

Any extension sought for joining, shall be governed under the provisions of DoPT OM No. 1259494- Estt. (D) dated 09.08.2017, MHA OM no. 9/23/71 – ESTT (D) dated 06.06.1978 and DoPT OM no.35016/2/93-Estt. (D) dated 09.08.1995.

23. जब नव नियुक्त आशुलिपिक ग्रेड - ॥ को अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है, तब उन्हें संबंधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

The newly appointed Stenographers Grade-II should undergo the mandatory training in Regional Training Institutes concerned as and when they are nominated for such training.

24. कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-। - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मात्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईईसीबी एवं पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी ।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003.

25. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Principal Chief Commissioner of CGST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry Zone.

(आर. गोपालसामी / R GOPALSAMY) 22/11/2022

अपर आयुक्त (प्र.मु.आ.का.) /ADDITIONAL COMMISSIONER (PCCO)

सेवा में / To,

सर्व/श्रीमती/ सुश्री कुलदीप प्रजापति
Sh./Smt./Ms. KULDIP PRAJAPATI
गांव बानपुर रोड महरौनी, मेहरौनी
VILLAGE BANPUR ROAD MAHRAUNI, MAHRAUNI
तहसील महरौनी, थाना महरौनी / TEH MAHRONI THANA MEHRAUNI
डाक महरौनी / POST MAHRAUNI,
जिला – ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284405
DIST-LALITPUR UTTAR PRADESH 284405

प्रतिलिपि प्रस्तुत / Copy submitted to:

1. सदस्य (प्रशासन), वित्त मंत्रालय / The Member (Admn.), CBIC, Ministry of Finance, नॉर्थ ब्लॉक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली / North Block, Central Secretariat, New Delhi-110001.
2. महानिदेशक, मानव संसाधन एवं विकास महानिदेशालय, एच.आर.एम. – II, 407/8, दीपशिखा बिल्डिंग,
   The Director General, DGHRD, HRM-II, 407/8, Deep Shikha Building,
   राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / Rajendra Place, New Delhi - 110008

प्रतिलिपि / Copy to:

1. आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा – I, चेन्नई
   The Commissioner of CGST & Central Excise, Audit – I, Chennai
   (नए भर्ती किए गए अधिकारियों जो परिवीक्षा अवधि पर हैं, उनका कार्य निष्पादन बोर्ड के पत्र एफ.सं. ए-32018/13/2019-ए.डी. III.ए दिनांक 09.10.2020 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018-स्था.(सी) के अनुसार मानिटर किए जाने की आवश्यकता है।)
   (The performance of freshly recruited officers who are on probation period need to be monitored in terms of Board's letter F.No. A-32018/13/2019-Ad.III.A dated 09.10.2020 and DOPT's O.M No. 28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019.)
2. अधीक्षक (कंप्यूटर अनुभाग), प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, चेन्नई – आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए ।
   The Superintendent (Computer Section), Pr.CCO Chennai – for displaying on official zonal website.
3. मास्टर फाईल / अतिरिक्त प्रतिलिपि ।
   Master file/Spare copy.